हेमवती नन्दन बहुगुणा उत्तराखण्ड चिकित्सा शिक्षा विश्वविद्यालय, देहरादून

दसवीं वित्त समिति की बैठक दिनांक 24 मई, 2023 (बुद्धवार) का कार्यवृत्त

बैठक में उपस्थित अधिकारियों/कर्मचारियों की उपस्थिति :–

1. प्रो0 (डॉ0) हेम चन्द्र, कुलपति, हे0न0ब0उ0चि0शि0 विश्वविद्यालय – अध्यक्ष
2. डॉ0 आशुतोष सयाना, निदेशक, चकित्सा शिक्षा निदेशालय – विशिष्ट सदस्य
3. श्री अरविंद सिंह पॉगती, संयुक्त सचिव, चिकत्सा स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा, उत्तराखण्ड शासन (ऑनलाईन) – सदस्य
4. श्री संजय सिंह टोलिया, संयुक्त सचिव, वित्त विभाग उत्तराखण्ड शासन (ऑनलाईन) – सदस्य
5. शैफाली गुप्ता, वित्त नियंत्रक, हे0न0ब0उ0चि0शि0 विश्वविद्यालय – सदस्य सचिव
6. प्रो0 (डॉ0) महेन्द्र कुमार पंत, कुलसचिव, हे0न0ब0उ0चि0शि0 विश्वविद्यालय – सदस्य
7. डॉ0 अरुण जोशी, प्राचार्य, राजकीय मेडिकल कॉलेज, हल्द्वानी (ऑनलाईन माध्यम) – सदस्य
8. डॉ0 सी0पी0 भैंसोड़ा, प्राचार्य रा0 मेडिकल कॉलेज अल्मोड़ा (ऑनलाईन माध्यम) – सदस्य
9. डॉ0सी0एम0एस0 रावत, प्राचार्य, रा0 मेडिकल कॉलेज, श्रीनगर (ऑनलाईन माध्यम) – सदस्य

सर्वप्रथम बैठक में विश्वविद्यालय के माननीय कुलपति जी द्वारा समिति के सदस्यों का स्वागत करते हुए हे0न0ब0उ0 चिकित्सा शिक्षा विश्वविद्यालय के उद्देश्यों पर विस्तार पूर्वक प्रकाश डाला गया और विश्वविद्यालय की गतिविधियों तथा भावी योजनाओं से समिति को अवगत कराया गया। तत्पश्चात वित्त समिति के विचारार्थ प्रस्ताव बिन्दुवार प्रस्तुत किये गए एवं समिति द्वारा सम्यक विचारोपरान्त उन पर निम्नवत निर्णय लिए :–

एजेण्डा बिन्दु संख्या–1–वित्त समिति की दिनांक 23.12.2022 को सम्पन्न नवीं वित्त्स समिति की बैठक में लिए गये निर्णयों सम्बन्धी अनुपालन आख्या की स्थिति :–

उक्त बैठक में कुल 04 बिन्दुओं पर निर्णय लिए गये थे जिसमें से तृतीय बिन्दु विश्वविद्यालय द्वारा समबद्ध निजी नर्सिंग/पैरामेडिकल से प्रतिवर्ष प्राप्त सम्बद्धता शुल्क की धनराशि रु0 50,000/– से बढ़ाकर रु0 1,00,000/– किये जाने का प्रस्ताव किया गया था, जिसके कम में समिति द्वारा आगामी वित्त समिति में अन्य संस्थानों से लिए जा रहे सम्बद्धता शुल्कों का परीक्षण कर प्रस्ताव प्रेषित किया जाना था, जिसके संबंध में 10वीं वित्त समिति के बिन्दु संख्या–10 (1) में प्रकरण पर विस्तार पूर्वक चर्चा की गयी है।

24/05/2023

24/5/23

निर्णयः– वित्त समिति द्वारा गत बैठक में लिए गये निर्णय एवं कियान्वयन संबंधी पुष्टि की गई।

एजेण्डा बिन्दु संख्या–2 :–वित्त नियंत्रक द्वारा चिकित्सा शिक्षा निदेशक/शासन स्तर से वित्तीय वर्ष 2022–23 में प्राप्त अनुदान के सापेक्ष व्यय एवं अवशेष धनराशि का ब्यौरा अवलोकनार्थ प्रस्तुत किया गया।

समिति के सम्मुख वित्तीय वर्ष 2022–23 में शासन से प्राप्त, व्यय एवं अवशेष धनराशि का विवरण निम्नवत प्रस्तुत किया गया :–

क्र. स.	लेखा शीर्षक	मद	वित्तीय वर्ष 2021–22 की अवशेष धनराशि	वित्तीय वर्ष 2022–23 में प्राप्त धनराशि	कुल योग (रूपये में) (कॉलम 4+5)	वित्तीय वर्ष में 31.03. 2023 तक व्यय	वित्तीय वर्ष में 31. 03.2023 को अवशेष	स्वीकृत प्रस्ताव के सापेक्ष मांग प्रस्ताव धनराशि
1	2	3	4	5	6	7		9
1	2210 –चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य 03 – चिकित्सा शिक्षा प्रशिक्षण तथा अनुसंधान 105 – पाश्चात्य चिकित्सा पद्यति 10 – चिकित्सा शिक्षा विश्वविद्यालय 00 –	56–सहायक अनुदान सामान्य (गैर वेतन)	7,52,682	1,50,00,000	1,57,52,682	1,16,13,665	41,39,017	1,50,00,000
		05–वेतन भत्ते आदि के लिए सहायता	34,57,555	1,00,00,000	1,34,57,555	84,86,062	49,71,493	1,00,00,000
		53– वृहद निमार्ण (चाहर दीवारी निर्माण कार्य)	86,87,200	86,87,200	1,73,74,400	1,73,74,400	0	43,43,600
		कुल योग	1,28,97,437	33687200	4,65,84,637	3,74,74,127	91,10,510	2,93,43,600

निर्णयः– समिति द्वारा उक्त विवरण अवलोकित किया गया और विश्वविद्यालय स्तर पर उक्त मदों में अवशेष धनराशि एवं शासन से प्राप्त धनराशि को स्वीकृति अनुरुप व्यय किये जाने पर अनुमोदन प्रदान किया गया।

24/05/2023

24/5/23

एजेण्डा बिन्दु संख्या–3 :– विश्वविद्यालय के दिनांक 18.02.2014 को गठन के उपरान्त वित्त नियंत्रक द्वारा प्रथम बार दसवीं वित्त समिति में विश्वविद्यालय के वित्तीय वर्ष 2023–24 का वार्षिक बजट प्रस्तुत किया जा रहा है। चूँकि वर्तमान से पूर्व विश्वविद्यालय में वार्षिक बजट प्रेषित नहीं किया जा रहा था, अतः उक्त के अभाव में वर्तमान बजट निर्माण प्रकिया में वित्तीय वर्ष 2022–23 के व्यय एवं प्राप्तियों का अनुमान विश्वविद्यालय में उपलब्ध अभिलेखों (बैंक स्टेटमेण्ट, भुगतान पत्रावलियॉं, चैक इश्यू रजिस्टर, विभिन्न अनुभागों से प्राप्त सूचना) के आधार पर ऑगणन किया गया है, जिसको आधार मानते हुए वर्तमान वित्तीय वर्ष 2023–24 के प्राप्तियों एवं व्ययों के अनुमान वित्त समिति के समक्ष प्रस्तुत किये गये।

निर्णयः– समिति द्वारा बजट प्रस्तुत किये जाने की नवीन पहल की सराहना की गयी एवं आय–व्यय के ऑकड़ों को अवलोकित किया गया। वित्तीय वर्ष 2023–24 हेतु प्रस्तुत बजट को स्वीकृत करते हुए तद्नुरुप व्यय किये जाने पर अनुमोदन प्रदान किया गया।

एजेण्डा बिन्दु संख्या–4 :– हे0न0ब0 चिकित्सा शिक्षा विश्वविद्यालय, उत्तराखण्ड कुलपति आवास (टाइप–7), अधिकारी आवस (टाइप–4), कर्मचारी आवास (टाइप–2) हेतु धनराशि रु0 499.28 लाख की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश संख्या–118166/XXVIII(5)/2023(E-43040) दिनांक 01.05.2023 के माध्यम से प्रदान की गयी है।

निर्णयः– समिति द्वारा उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश के अनुरुप स्वीकृत बजट को विश्वविद्यालय की स्वयं अर्जित आय से निर्माण हेतु स्वीकृत डी.पी.आर. के अनुसार व्यय किये जाने पर अनुमोदन प्रदान किया गया।

एजेण्डा बिन्दु संख्या–5 :– विश्वविद्यालय के स्थायी परिसर में सुरक्षा के दृष्टिगत सुरक्षा गार्ड कक्ष एवं बॉयाखाला ग्राम में निर्मित सड़क के अन्तिम छोर से विश्वविद्यालय के मुख्य गेट तक लिंक सड़क का निर्माण किये जाने का प्रस्ताव कार्यदायी संस्था ब्रिडकुल द्वारा तैंयार किया गया है , जिसका अनुमानित आगणन रु0 20.00 लाख है। उक्त धनराशि का वहन विश्वविद्यालय के स्वयं अर्जित आय से किया जाना प्रस्तावित है, जिसकी प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति हेतु प्रस्ताव प्रस्तुत है।

निर्णयः– समिति द्वारा उक्त प्रस्ताव पर सहर्ष स्वीकृत प्रदान की गयी।

एजेण्डा बिन्दु संख्या–6 :– विश्वविद्यालय के परिसर में सुरक्षा के दृष्टिगत मुख्य गेट एवं फैन्सिंग का कार्य किये जाने का प्रस्ताव कार्यदायी संस्था ब्रिडकुल द्वारा तैंयार किया गया है , जिसका अनुमानित आगणन रु0 20.00 लाख है। उक्त धनराशि का वहन विश्वविद्यालय की स्वयं अर्जित आय से किया जाना प्रस्तावित है, जिसकी प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति हेतु प्रस्ताव प्रस्तुत है।

निर्णयः– समिति द्वारा उक्त प्रस्ताव पर सहर्ष स्वीकृत प्रदान की गयी।

24/05/2023

24/5/23

एजेण्डा बिन्दु संख्या–7 :– विश्वविद्यालय के मुख्य गेट से मुख्य प्रशासनिक भवन तक सड़क न होने के कारण आगंतुकों को आवागमन में असुविधा होती है। उक्त के दृष्टिगत इस मार्ग पर सी.सी. सड़क का निर्माण किये जाने की सैद्धान्तिक स्वीकृति अपेक्षित है, जिसमें होने वाले व्ययों का वहन विश्वविद्यालय की स्वयं अर्जित आय से किया जायेगा।

निर्णयः– समिति द्वारा उक्त प्रस्ताव पर सहर्ष स्वीकृत प्रदान की गयी।

एजेण्डा बिन्दु संख्या–8 :– हेमवती नन्दन बहुगुणा उत्तरखण्ड चिकित्सा शिक्षा विश्वविद्यालय, देहरादून में कार्यरत नियमित अधिकारियों/कर्मचारियों एवं उनके आश्रितों हेतु वर्तमान में चिकित्सा प्रतिपूर्ति हेतु कोई व्यवस्था प्राविधानित नहीं है। उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश संख्या 1256/XXVIII(3)/21-04/2008 दिनांक 25.11.2021 के प्रस्तर संख्या–22 के अनुसार राज्य सरकार स्वास्थ्य योजना (SGHS) योजना को राजकीय कार्मिकों/पेंशनर के अलावा स्वायत्तशासी निकाय, निगमों, प्राधिकरणों, विश्वविद्यालय तथा अनुदानित संस्थाओं के कार्मिकों, जिन्हें राज्य सरकार अनुदान उपलब्ध कराती है, पर भी निम्न प्रतिबन्धों के साथ लागू किया जा सकता है :–

1. उक्त संस्थायें अपने गवर्निंग बॉडी, बोर्ड आदि से प्रस्ताव पास कराने के उपरान्त योजना (Scheme) को अंगीकृत कर सकेंगे।
2. उक्त योजना सम्बन्धित संस्थाओं/निकाय/निगम के सभी कार्मिकों हेतु अनिवार्य होगी।
3. उक्त संस्थायें कार्मिकों/पेंशनर के वेतन/पेंशन से मासिक कटौती कर धनराशि राज्य स्वास्थ्य अभिकरण को ऑनलाईन उपलब्ध करायेंगे।

अतः विश्वविद्यालय में कार्यरत नियमित अधिकारियों/कर्मचारियों हेतु उक्त व्यवस्था लागू किया जाना प्रस्तावित है (संलग्नक–4)।

निर्णयः– समिति द्वारा उक्त प्रस्ताव पर सहर्ष स्वीकृत प्रदान की गयी।

एजेण्डा बिन्दु संख्या–9 :– हेमवती नन्दन बहुगुणा उत्तरखण्ड चिकित्सा शिक्षा विश्वविद्यालय, देहरादून में कार्यरत नियमित अधिकारियों/कर्मचारियों हेतु वर्तमान में किसी सामाजिक सुरक्षा योजना का प्राविधान नहीं है। उत्तराखण्ड शासन के कार्यालय ज्ञाप संख्या–52/XXVIII(7)56/2012, दिनांक 22 मार्च, 2012 में दिनांक 01.10.2005 से राज्य में लागू अंशदायी पेंशन योजना के स्वायत्तशासी संस्थायें/अशासकीय विद्यालय/विश्वविद्यालय आदि में कियान्वयन के संबंध में स्थिति स्पष्ट करते हुए व्यवस्था की गयी है। अतः विश्वविद्यालय में कार्यरत नियमित कार्मिकों हेतु उक्त व्यवस्था लागू किया जाना प्रस्तावित है।

निर्णयः– समिति द्वारा उक्त प्रस्ताव पर सहर्ष स्वीकृत प्रदान की गयी।

एजेण्डा बिन्दु संख्या–10 :– गत वर्ष सम्पन्न पंचम दीक्षान्त समारोह के आयोजन हेतु रु0 23,00,000/– की धनराशि व्यय किये जाने का अनुमोदन वित्त समिति से तत्समय प्राप्त हुआ था, जिसके सापेक्ष लगभग रु0 30,00,000/– का वास्तविक व्यय हुआ है। इस प्रकार लगभग

29/05/2023

24/5/23

रु0 700000/– का अतिरिक्त व्यय हुआ है, यह व्यय समारोह में व्यवस्थाओं संबंधी तात्कालिक आवश्यक्तओं इत्यादि के कारण रहा, अतः अतिरिक्त व्यय की कार्योत्तर स्वीकृति प्रदान किए जाने का प्रस्ताव है।

निर्णयः– समिति द्वारा गत वर्ष सम्पन्न दीक्षान्त समारोह में अनुमोदित धनराशि से अधिक व्यय हुई धनराशि की कार्योत्तर स्वीकृति प्रदान की गयी।

एजेण्डा बिन्दु संख्या–11 :– हे.न.ब.उ.चि.शि. विश्वविद्यालय एक स्वायत्तशासी संस्था है, जिसमें विभिन्न गोपनीय कार्य यथा प्रवेश परीक्षाओं आदि हेतु प्रश्न पत्रों का निर्माण एवं छपायी संबंधी कार्य विषय विशेषज्ञों एवं गोपनीय फर्मों से कराया जाता है, जिस हेतु परीक्षा नियंत्रक के नाम पर एक पृथक बैंक खाता खोले जाने का प्रस्ताव है, जिसमें परीक्षा नियंत्रक द्वारा होने वाले गोपनीय कार्यों हेतु अग्रिम आहरित धनराशि से गोपनीय कार्यों पर व्यय किये जायेंगे, जिससे परीक्षा कार्यों की गोपनीयता बनी रहे।

निर्णयः– समिति द्वारा उक्त प्रस्ताव को गोपनीयता के दृष्टिगत अति आवश्यक एवं उचित बताते हुए सहर्ष स्वीकृत प्रदान की गयी। उक्त गोपनीय खाते के संचालन के संबंध में राज्य में संचालित अन्य शासकीय विश्वविद्यालयों में कियान्वित प्रकिया अपनाये जाने हेतु स्वीकृति प्रदान की गयी।

एजेण्डा बिन्दु संख्या–12 :– विश्वविद्यालय में विगत वर्षों में वित्त समिति में पारित प्राप्तियों की विभिन्न दरों में निम्नवत संशोधन प्रस्तावित है :–

1. द्वितीय वित्त समिति के बिन्दु संख्या–8 में शासनादेश संख्या 3342/XXVIII(1)2015/29 (सामान्य)/2015 दिनांक 16.01.2015 के माध्यम से विश्वविद्यालय से सम्बद्ध राजकीय/निजी क्षेत्र के मेडिकल/डेंटल/नर्सिंग/पैरामेडिकल कॉलेजों/संस्थानों हेतु सम्बद्धता शुल्क निर्धारित किये गये थे। वर्तमान में सभी शासनादेशों को अतिक्रमित करते हुए शासनादेश संख्या 649/XXIV(3)/2016-01(30)/2015 दिनांक 14.12.2016 में महाविद्यालय एवं शिक्षण संस्थनों की सम्बद्धता हेतु मानकों का निर्धारण किया गया है, जिसके प्रस्तर संख्या–1 (vii) में अशासकीय महाविद्यालयों/शिक्षण संस्थान को व्यावसायिक पाठ्यक्रम संचालित करने की दशा में रु0 35 लाख अथवा सांविधिक /विनियामक निकाय द्वारा निर्धारित धनराशि (जो दोनों में अधिक हो) प्रति पाठ्यक्रम की दर से महाविद्यालय/ शिक्षण संस्थान के नाम अप्रतिसंहरणीय सरकारी प्रतिभूति के रुप में स्थायी कायिक निधि का सृजन किया जायेगा। उक्त के संबंध में मा0 कुलाधिपति महोदय के पत्रांक संख्या 120 दिनांक 26.03.2023 के माध्यम से राज्य सरकार द्वारा निर्धारित प्राभूति राशि को पुनरीक्षित करने हेतु निर्णय लिये जाने तक, संस्थानों से पूर्व से नियत प्राभूति धनराशि जमा किये जाने हेतु निर्देशित किया गया है।

24/05/2023

24/5/23

साथ ही उक्त शासनादेश के बिन्दु संख्या–2 (i), 2(ii) एवं 3 (iv) में निम्नवत अस्थायी एवं स्थायी सम्बद्धता हेतु दरें निर्धारित की गयी हैं। (संलग्नक–6)

Temporary Affiliation			Permanent Affiliation		
Application Fees	Govt	2500			
	Private	5000			
Processing Fees	Govt	10000	Processing Fees	Govt	10000
	Private	50000		Private	50000

शासनादेश दिनांकित 14.12.2016 में वार्षिक सम्बद्धता शुल्क के संबंध में स्थिति स्पष्ट नहीं की गयी है, अतः द्वितीय वित्त समिति के बिन्दु संख्या–8 में प्रस्तावित एवं पारित वार्षिक सम्बद्धता एवं निरीक्षण शुल्क की दरें निर्धारित करने हेतु एक समिति का गठन किया जाना प्रस्तावित है। समस्त सम्बद्धता शुल्क पर वस्तु एवं सेवा कर (GST@18%) अतिरिक्त देय होगा।

निर्णयः– समिति द्वारा प्राभूति राशि लिए जाने के संबंध में माननीय कुलाधिपति महोदय द्वारा निर्देशित आदेश का अनुपालन किये जाने हेतु समिति द्वारा सहमति व्यक्त की गयी। शासनादेश संख्या 649/XXIV(3)/2016-01(30)/2015 दिनांक 14.12.2016 **में उल्लिखित स्थाई एवं अस्थायी सम्बद्धता संबंधी शुल्क पर समिति द्वारा अनुमोदन प्रदान किया गया। साथ ही वार्षिक सम्बद्धता, निरीक्षण एवं अन्य संबंधी शुल्कों की दरें निर्धारित करने हेतु समिति का गठन किये जाने का निर्णय लिया गया। साथ ही वित्त सिमति द्वारा सम्बद्धता संबंधी समस्त शुल्कों पर वस्तु एवं सेवा कर (GST) तत्काल प्रभाव से नियमानुसार लिये जाने का निर्णय लिया गया।**

2. विश्वविद्यालय की पॉचवी वित्त समिति दिनांक 26.08.2019 के प्रस्तर–4 में सम्बद्ध राजकीय मेडिकल/पैरामेडिकल/नर्सिंग कॉलेजों द्वारा प्रत्येक परीक्षा में छात्र–छात्राओं से जमा परीक्षा शुल्क की कुल धनराशि का 60% विश्वविद्यालय को प्रेषित किया जाता है, एवं अवशेष 40% धनराशि से संस्थान स्तर पर ही परीक्षा कार्य में हुए व्ययों का नियमानुसार भुगतान करते हुए अवशेष का समायोजन विश्वविद्यालय को प्रेषित किया जाता है। गत वर्षों में हुई वित्त समितियों में कतिपय भुगतान संबंधी दरें बढ़ायी गयी हैं, जिससे 40% धनराशि जो कि कॉलेज स्तर पर रोकी जाती है, से सम्पूर्ण व्यय संभव नहीं हो पा रहे है।

अतः परीक्षाओं के बिलों के त्वरित भुगतान के दृष्टिगत प्रस्तावित किया जाता है कि राजकीय शिक्षण संस्थान जो विश्वविद्यालय से सम्बद्व है द्वारा प्रत्येक परीक्षा हेतु छात्रों से एकत्रित परीक्षा शुल्क धनराशि में से 70 % भाग संस्थान स्तर पर अग्रिम के रूप में रोकते हुए शेष 30% भाग को विश्वविद्यालय को तत्काल प्रेषित किया जाए। तत्पश्चात संस्थान स्तर पर रोकी गई उक्त 70 % धनराशि से संस्थान स्तर पर ही परीक्षा कार्य में हुए व्ययों का नियमानुसार भुगतान करते हुए संस्थान के प्राचार्य एवं वित्त अधिकारी द्वारा विश्वविद्यालय को **उपलब्धता प्रमाण पत्र** उपलब्ध कराया जाए। अतिरिक्त देय/अवशेष धनराशि का समायोजन विश्वविद्यालय स्तर से नियमानुसार किया जायेगा।

साथ ही परीक्षा शुल्क की दरों का पुनः परीक्षण किये जाने हेतु एक समिति का गठन किया जाना प्रस्तावित है।

29/05/2023

24/5/23

निर्णयः– उक्त प्रस्ताव पर समिति द्वारा परीक्षाओं हेतु लिए जाने वाले परीक्षा शुल्कों की धनराशि का 75:25 के अनुपात में कॉलेज एवं विश्वविद्यालय में विभाजित किये जाने पर समिति द्वारा सहमति प्रदान की गयी। समस्त राजकीय शैक्षणिक संस्थानों द्वारा प्रत्येक पाठ्यक्रम में विभिन्न वर्षो/सेमेस्टर में अध्यनरत छात्रों की संख्या सहित प्राप्त परीक्षा शुल्क के विस्तृत विवरण के साथ उक्त धनराशि का 25% विश्वविद्यालय को परीक्षाओं से 01 माह पूर्व अनिवार्यतः प्रेषित किया जायेगा एवं कार्योपरान्त उक्त का समायोजन विवरण तालिका, उपलबध्ता प्रमाण पत्र सहित अपने संस्थान के वित्त अधिकारी/वित्त नियंत्रक के माध्यम से विश्वविद्यालय को प्रेषित करेंगे। साथ ही परीक्षा शुल्कों की दरों का पुनः परीक्षण किये जाने हेतु समिति का गठन किये जाने का निर्णय लिया गया, जिसके प्रस्तावना मा0 कुलपति महोदय एवं वित्त नियंत्रक द्वारा प्रभावी किये जायेंगे।

एजेण्डा बिन्दु संख्या–13 :– विश्वविद्यालय में विगत वर्षो में वित्त समिति में पारित व्यय/भुगतानों की विभिन्न दरों में निम्नवत संशोधन प्रस्तावित है :–

1. वर्तमान में विश्वविद्यालय से 81 कॉलेज सम्बद्ध हैं एवं सम्बद्धता हेतु आवेदन करने वाले संस्थानों में जाने वाले विशेषज्ञों की टीम के सदस्यों को दिये जाने वाले मानदेय की दर निर्धारित न होने के क्रम में वर्तमान तक विश्वविद्यालय की प्रथम वित्त समिति दिनांक 28.05.2014 के बिन्दु संख्या–17 में रु0 3000/– प्रति व्यक्ति/प्रति बैठक के अनुसार भुगतान किया जा रहा था। अतः उक्त कॉलेजों के निरीक्षण हेतु गठित की जाने वाली समिति के सदस्यों हेतु रु0 3000/प्रति व्यक्ति प्रति दिन की दर से मानदेय दिये जाने का प्रस्ताव है।

निर्णयः– सम्बद्ध संस्थानों से प्राप्त सम्बद्धता शुल्क की दरों का निर्धारण हेतु गठित की जाने वाली समिति, सम्बद्धता संबंधी व्ययों की दरों का भी पुनः परीक्षण कर आख्या प्रस्तुत करेगी। साथ ही समिति द्वारा प्रेषित की जाने वाली आख्या पर सहमति प्राप्त होने तक उक्त प्रस्तावित दरों पर भुगतान किये जाने की सहमति प्रदान की गयी।

2. विश्वविद्यालय की चतुर्थ वित्त समिति दिनांक 25.01.2019 के प्रस्तर–7 में सम्बद्ध कालेजों/संस्थानों को वार्षिक परीक्षाओं के संचालन हेतु दिये जाने वाले कार्यवार/मदवार भुगतान की दरों में वाह्य परीक्षकों के होटल में ठहरने पर रु0 2500/– की धनराशि अथवा वास्तवित व्यय जो भी कम हो का भुगतान किया जाता है। वर्तमान में विश्वविद्यालय के कियाकलाप इत्यादि बढ़ रहे हैं, जिसमें परीक्षाएँ, काउन्सिलिंग, सेमिनार, गोष्ठियाँ इत्यादि अनेक कियाकलापों हेतु आने वाले वाह्य एवं विश्वविद्यालय के कर्मियों इत्यादि को रात्रि प्रवाश हेतु पूर्व की दरों को संसोधित करते हुए रु0 3000/– प्रति व्यक्ति प्रति दिन किये जाने का प्रस्ताव।

निर्णयः– विभिन्न सम्बद्ध संस्थानों से प्राप्त परीक्षा शुल्क की दरों का पुनः परीक्षण हेतु गठित की जाने वाली समिति, परीक्षा संबंधी व्ययों की दरों का भी पुनः परीक्षण कर आख्या प्रस्तुत करेगी। साथ ही समिति द्वारा प्रेषित की जाने वाली आख्या पर सहमति प्राप्त होने तक उक्त प्रस्तावित दरों पर भुगतान किये जाने की सहमति प्रदान की गयी।

24/05/23

24/5/23

3. विभिन्न प्रवेश परीक्षाओं हेतु प्रश्न पत्र के निर्माण उपरान्त टंकण हेतु वर्तमान तक कोई दरें निर्धारित नहीं थी, उक्त हेतु रु0 1000/प्रति प्रश्न पत्र की दरें निर्धारित किये जाने का प्रस्ताव है।
निर्णयः– विभिन्न प्रवेश परीक्षाओं हेतु प्रश्न पत्र के निर्माण उपरान्त टंकण/प्रारुपण एवं गोपनीयता के दृष्टिगत रु0 1000/प्रति प्रश्न पत्र की दरें निर्धारित किये जाने पर समिति द्वारा सहमति प्रदान की गयी।

4. द्वितीय वित्त समिति दिनांक 24.01.2018 के प्रस्तर–10 हेतु दिनांक 17 दिसम्बर, 2022 को आहूत शैक्षिक समिति द्वारा पूर्व की दरों को पुनरीक्षित किये जाने का प्रस्ताव दिया गया है (संलग्न)।
निर्णयः– उक्त प्रस्ताव पर बिन्दु संख्या–13 (2) पर लिया गया निर्णय यथावत।

वित्त समिति के उपस्थित सदस्यों (ऑनलाईन एवं ऑफलाईन) के हस्ताक्षर :–

1. प्रो0 (डॉ0) हेम चन्द्र (कुलपति)
हे0न0ब0उ0चि0शि0 विश्वविद्यालय, देहरादून– अध्यक्ष .....

Vice Chancellor
HNB Uttarakhand Medical Education University
Dehradun
24/5/23

2. डॉ0 आशुतोष सयाना, निदेशक,
चिकित्सा शिक्षा निदेशालय– विशिष्ट सदस्य .....

3. श्री अरविंद सिंह पॉगती, संयुक्त सचिव,
चिकत्सा स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा, उत्तराखण्ड शासन (ऑनलाईन) – सदस्य .....

4. श्री संजय सिंह टोलिया, संयुक्त सचिव,
वित्त विभाग उत्तराखण्ड शासन (ऑनलाईन)– सदस्य .....

5. शैफाली गुप्ता वित्त नियंत्रक,
हे0न0ब0उ0चि0शि0 विश्वविद्यालय, देहरादून– सदस्य सचिव .....

Finance Controller
HNB Medical Education University
Dehradun

Learn to Serve

6. प्रो0 (डॉ0) एम0के0 पंत, कुलसचिव,
हे0न0ब0उ0चि0शि0 विश्वविद्यालय, देहरादून– सदस्य ....

29/05/2023
Registrar
HNB Medical Education University
Dehradun

7. डॉ0 अरुण जोशी, प्राचार्य,
राजकीय मेडिकल कॉलेज, हल्द्वानी (ऑनलाईन माध्यम)– सदस्य ....

8. डॉ0 सी0पी0 भैंसोड़ा,
प्राचार्य मेडिकल कॉलेज, अल्मोड़ा (ऑनलाईन माध्यम)– सदस्य ....

9. डॉ0सी0एम0एस0 रावत,
प्राचार्य मेडिकल कॉलेज, श्रीनगर (ऑनलाईन माध्यम)– सदस्य ....